धनंजय मलिक और अन्य

बनाम

उत्तराँचल राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्याः 1771/2008)

5 मार्च 2008

[एच.के. सेमा और मार्कन्डेय काटजू, जे जे.]

सेवा कानून-चयन-चयन मानदंड - असफल उम्मीदवारों द्वारा चुनौती दी गई – निर्धारित किया गया: चुनौती कायम रखे जाने योग्य नहीं है- असफल उम्मीदवारों ने, बिना किसी आपत्ति के चयन प्रक्रिया में भाग लिया, उन्हें चयन मानदंड को चुनौती देने से रोक दिया गया - विबंध के नियम की प्रयोज्यता।

प्रशासनिक कानून - प्रशासनिक निर्देशों को जारी करना - कमियों की पूर्ती और नियमों की अनुपूर्ती - व्याप्ति - निर्धारित किया गया: वैधानिक नियमों का प्रशासनिक निर्देश द्वारा संशोधन या अधिक्रमण नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर मौन हैं, तो सरकार कमियों की पूर्ती कर सकती है और नियमों की अनुपूर्ती कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हों - उ.प्र. अधीनस्थ शैक्षिक (प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड) सेवा नियम, 1983-भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 309.

राज्य सरकार ने शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के चयन एवं नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में दर्शाई गई अपेक्षित योग्यता बी.पी.ई. अथवा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के साथ स्नातक थी। असफल उम्मीदवारों ने चयन मानदंड को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं, उन्होंने तर्क दिया जैसे की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता

बताई गई है वे यूपी अधीनस्थ शैक्षिक (प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड) सेवा नियम, 1983 के अनुरूप नहीं है जो कि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता निर्धारित करता है। उपरोक्त नियम को भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बी.पी.ई. डिग्री धारकों को उन लोगों के समान माना जाना चाहिए जिनके पास बी.ए./ बी.एससी., बी.कॉम डिग्री और शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा हैं और उन्हें अतिरिक्त बी.ए./ बी.एससी., बी.कॉम डिग्री रखने की आवश्यकता, शारीरिक शिक्षा निदेशक या अन्य समान पदों पर रोजगार के प्रयोजनों के लिए नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त स्थिति को सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में और स्पष्ट किया है कि बी.पी.ई. की योग्यता में स्नातक के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा भी शामिल है। असफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपील को खण्ड पीठ ने स्वीकार कर लिया।

इस न्यायालय में अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठे वे थे 1) क्या असफल उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से रोका गया था और 2) क्या सरकार, प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से, कमियों की पूर्ती कर सकती है और नियमों को अनुपूरित कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हों, यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर मौन हैं।

न्यायालय ने सफल उम्मीदवारों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए और गैर-चयनित उम्मीदवारों द्वारा दायर क्रॉस अपील को खारिज कर दिया तथा

निर्धारित किया: 1. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं ने यह जानते हुए भी चयन प्रक्रिया में भाग लिया कि विज्ञापन में शैक्षिक योग्यता स्पष्ट रूप से बी.पी.ई. अथवा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के साथ स्नातक स्पष्ट रूप से दर्शायी गयी थी। बिना किसी आपत्ति के चयन की प्रक्रिया में असफल रूप से भाग लेने के बाद,

उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ चयन मानदंड को चुनौती देने से रोक दिया गया है कि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विज्ञापन और चयन प्रक्रिया, नियमों के विपरीत थे। यदि उन्हें लगता है कि विज्ञापन और चयन प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं हैं तो वे चयन प्रक्रिया में भाग न लेकर विज्ञापन एवं चयनप्रक्रिया को चुनौती दे सकते थे। पर ऐसा नहीं किया गया उच्च न्यायालय की खंडपीठ अकेले इस आधार पर ही अपील को खारिज कर सकती थी जैसा कि एकल न्यायाधीश ने किया। [पैरा 7,8,10] [1038-जी; 1039-ए, बी, ई, एफ; 1040-ए]

मदन लाल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (1995) 3 एससीसी 486 और मर्रिपति नागराजा बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2007) 11 एससीआर 506 एससीआर- पर भरोसा किया गया।

2. सरकार द्वारा प्रशासनिक निर्देशों से वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका अधिक्रमण नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर मौन हैं, तो सरकार कमी पूर्ति कर सकती है और नियमों की अनुपूर्ति कर सकती है तथा ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो मौजूदा नियमों से असंगत नहीं हों। [पैरा 13] [1040-एफ, जी]

संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एआईआर (1967) एससी 1910 और भारत संघ बनाम के.पी. जोसेफ (1973) 1 एससीसी 194- पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1771/2008

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के एस.ए. संख्या 18/2004 में पारित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 16/12/2005 से

साथ में

2008 की सिविल अपील संख्या 1772 और 1773

नरेश कौशिक, सतीश दयानंदन, पराग गोयल, ललिता कौशिक, मो.जमाल नासिर और सुनीता शर्मा अपीलकर्ताओं की ओर से।

रचना श्रीवास्तव, ए.ए.जी., बी.बी. साहनी, इंद्रा साहनी और जतिंदर कुमार भाटिया प्रत्यिर्थयों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एच.के. सेमा, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल की खंडपीठ की विशेष अपील संख्या 18/2004 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 16.12.2005 के विरुद्ध निर्देशित हैं।

3. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा 2006 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1466 और 2743 दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापकों (शारीरिक शिक्षा) के संपूर्ण चयन और नियुक्तियों को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के अनुसार चयन एवं नियुक्तियां नियमों का उल्लंघन कर की गईं। इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 27.1.2006 के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और इसलिए वे अभी भी उन पदों पर बने हुए हैं, जिनके लिए उनका चयन किया गया है।

4. गढ़वाल क्षेत्र के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (एल.टी.ग्रेड) के चयन एवं नियुक्ति के लिए 24.6.2002 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में दर्शाई गई अपेक्षित योग्यता बी.पी.ई. अथवा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के साथ स्नातक थी। साक्षात्कार में असफल अभ्यर्थियों ने चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी। इसका एक आधार यह था कि विज्ञापन एवं चयन यू.पी. अधीनस्थ शैक्षिक

(प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड) सेवा नियम, 1983 (संक्षेप में नियम) नामक नियमों के अनुरूप नहीं था। हम उक्त नियमों की जांच आगे करेंगे। असफल अभ्यर्थियों की रिट याचिकाएँ एकल पीठ द्वारा खारिज कर दी गईं। जिसके विरूद्ध असफल अभ्यर्थियों द्वारा की गयी अपीलों को स्वीकार कर एकल पीठ के निर्णय को पलट दिया गया। जिस पर वर्तमान अपीलें विशेष अनुमति से प्रस्तुत हुयी हैं।

5. हमने पक्षकारों को सुना है।

6. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इस स्तर पर बता सकते हैं कि एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाओं को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपीलों पर विचार करने में गलती की।

7. इसमें कोई विवाद नहीं है कि रिट याचिकाकर्ताओं-प्रर्त्थियों ने पूरी तरह से जानते हुए भी चयन प्रक्रिया में भाग लिया कि विज्ञापन में ही शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट रूप से बी.पी.ई. अथवा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के साथ स्नातक दर्शायी गयी थी। बिना किसी आपत्ति के चयन की प्रक्रिया में असफल रूप से भाग लेने के बाद, उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ चयन मानदंड को चुनौती देने से रोक दिया गया है कि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विज्ञापन और चयन प्रक्रिया, नियमों के विपरीत थे।

8. मदन लाल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, (1995) 3 एससीसी 486 में, इस न्यायालय ने बताया कि जब याचिकाकर्ता आयोग के संबंधित सदस्यों द्वारा आयोजित मौखिक साक्षात्कार में उपस्थित हुए, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ संबंधित प्रतिभागी प्रर्त्थियों का भी साक्षात्कार लिया। संबंधित उत्तरदाताओं, याचिकाकर्ताओं ने उक्त मौखिक साक्षात्कार में खुद को चयनित होने का मौका लिया। इसलिए, क्योंकि उन्होंने लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार दोनों में अपने संयुक्त प्रदर्शन के

परिणामस्वरूप खुद को सफल नहीं पाया, उन्होंने केवल इस कारण से रिट याचिकाएं दायर की हैं। इस न्यायालय ने आगे बताया कि यदि कोई उम्मीदवार सोच-समझकर मौका लेता है और साक्षात्कार में उपस्थित होता है, तो, केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उसके लिए सुखद नहीं है, वह पलट नहीं सकता और बाद में यह तर्क नहीं दे सकता कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी या चयन समिति का गठन ठीक से नहीं किया गया. वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही बताया गया है, रिट याचिकाकर्ताओं-प्रर्त्थियों ने बिना किसी आपत्ति के चयन प्रक्रिया में भाग लिया; वे यह शिकायत करने से विबंधित हैं कि चयन प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं थी। यदि उन्हें लगता है कि विज्ञापन और चयन प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं थी तो वे चयन प्रक्रिया में भाग लिए बिना विज्ञापन और चयन प्रक्रिया को चुनौती दे सकते थे। ऐसा नहीं किया गया है।

9. मरिपति नागराजा बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, (2007) 11 एससीआर 506 पृष्ठ 516 एससीआर के मामले में हाल के फैसले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि अपीलकर्ता बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में उपस्थित हुए थे। उन्होंने उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष उक्त तिथि तय करने की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। इसलिए, वे विबंधित हैं और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाने से वंचित किये जाने योग्य हैं।

10. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ को अकेले इस आधार पर अपील को खारिज कर देना चाहिये था, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने किया।

11. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या सरकार प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से कमियों को पूरा कर सकती है और नियमों को अनुपूर्ती कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत न हों, यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर मौन हैं ?

12. 1983 के नियम सहायक अध्यापक-शारीरिक शिक्षा के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ निम्नानुसार निर्धारित करते हैं:-

"किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा।"

उपरोक्त नियम को भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 26.11.1965 को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि शारीरिक शिक्षा निदेशक या अन्य समान पदों पर रोजगार के प्रयोजनों के लिए बी.पी.ई. डिग्री धारकों को बी.ए./बी.एससी., बी.कॉम डिग्री के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा धारकों, के समान माना जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त बी.ए., बी.एससी/बी.कॉम डिग्री की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त स्थिति को सरकार द्वारा अपने जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 12 में और स्पष्ट किया गया है कि बी.पी.ई. की योग्यता में स्नातक के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा भी शामिल है।

13. संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1967 एससी 1910 के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने पृष्ठ 1914 एससी में बताया है कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका अधिक्रमण नहीं कर सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर मौन हैं तो सरकार कमियों को पूरा कर सकती है और नियमों को अनुपूरित कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो मौजूदा नियमों से असंगत न हों।

14. भारत संघ बनाम के.पी. जोसेफ, (1973) 1 एससीसी 194, के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा फैसले के पैराग्राफ 9 में उपरोक्त फैसले को दोहराया गया है। जो इस प्रकार

"आम तौर पर, एक प्रशासनिक आदेश कोई न्यायसंगत अधिकार प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह नियम, अन्य सभी सामान्य नियमों की तरह, अपवादों के अधीन है। इस न्यायालय ने संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, एआईआर 1967 एससी 1910 में कहा है कि यद्यपि सरकार वैधानिक नियमों को प्रशासनिक निर्देशों द्वारा अधिक्रमण नहीं कर सकती है, फिर भी, यदि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम किसी विशेष बिंदु पर मौन हैं, तो सरकार कमी पूर्ती सकती है और नियमों को अनुपूरित कर सकती है तथा ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो मौजूदा नियमों के साथ असंगत नहीं हो तथा ये निर्देश सेवा की शर्तों को नियंत्रित करेंगे।"

15. उपरोक्त उल्लेखित कारणों से, सफल उम्मीदवारों द्वारा दायर 2006 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1466 और 2743 से उत्पन्न सिविल अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। कोई आदेश हर्जे खर्चे बाबत नहीं।

एस.एल.पी. (सी) संख्या 7989/2006 से संबंधित सिविल अपील

16. असफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर यह अपील खारिज की जाती है।

सिविल अपील संख्या 1771/2008, 1772/2008 स्वीकार।

सिविल अपील संख्या 1773/2008 खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पंकज नरुका (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।